

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय
विधेयक, 2013

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।
3. विश्वविद्यालय की स्थापना।
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां।
6. अधिकारिता।
7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।
8. छात्रों का आवास।
9. विद्यापीठों की स्थापना और उनको चलाने की शक्ति।
10. कुलाध्यक्ष।
11. विश्वविद्यालय के अधिकारी।
12. कुलाधिपति।
13. कुलपति।
14. प्रतिकुलपति।
15. संकायों के संकायाध्यक्ष।
16. कुल सचिव।
17. वित्त अधिकारी।
18. परीक्षाओं के नियंत्रक।
19. पुस्तकालयाध्यक्ष।
20. अन्य अधिकारी।
21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।
22. सभा।
23. कार्य परिषद्।
24. विद्या परिषद्।
25. अध्ययन बोर्ड और विद्या बोर्ड।
26. वित्त समिति।
27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।
28. परिनियम बनाने की शक्ति।
29. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।
30. अध्यादेश बनाने की शक्ति।

खंड

31. विनियम।
 32. वार्षिक रिपोर्ट।
 33. वार्षिक लेखे।
 34. विश्वविद्यालय की निधि।
 35. विवरणियां और सूचना।
 36. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।
 37. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थता की प्रक्रिया।
 38. अपील करने का अधिकार।
 39. प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।
 40. समितियों का गठन।
 41. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।
 42. प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।
 43. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
 44. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।
 45. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
 46. परिनियमों, अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।
 47. संक्रमणकालीन उपबंध।
- अनुसूची

2013 का विधेयक संख्यांक 131

[दि इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी फार वुमेन बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

भारत में महिलाओं के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं
की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में विश्वविद्यालय
की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए
तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;
- (ख) “शैक्षणिक कर्मचारिवृंद” से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं; 5
- (ग) “महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (घ) “अध्ययन बोर्ड” से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) “कैपस” से शिक्षण या अनुसंधान या दोनों का इंतजाम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित इकाई अभिप्रेत है;
- (च) “कुलाधिपति”, “कुलपति” और “प्रतिकुलपति” से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं; 10
- (छ) “सभा” से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;
- (ज) “संकायाध्यक्ष” से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (झ) “विभाग” से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र है;
- (ञ) “दूर शिक्षा पद्धति” से संचार के किसी माध्यम जैसे कि प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वेब प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है; 15
- (ट) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं;
- (ठ) “कार्य परिषद्” से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है; 20
- (ड) “संकाय” से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (ढ) “वित्त समिति” से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ण) “छात्र निवास” से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है;
- (त) “संस्था” से ऐसी कोई शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय नहीं है; 25
- (थ) “प्राचार्य” से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां कोई प्राचार्य नहीं है वहां प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उप प्राचार्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति है; 30
- (द) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत है;
- (ध) “परिनियमों” और “अध्यादेशों” से क्रमशः विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;
- (न) “विश्वविद्यालय के शिक्षक” से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में शिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं; 35

(प) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. (1) उत्तर प्रदेश राज्य में “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय” के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जिला रायबरेली में होगा।

5 (3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा के प्रथम सदस्य, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, एतद्वारा “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय” के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद जाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

10 4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

(i) भारत की महिलाओं को उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था प्रदान करना और इस प्रकार समाज को देश की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षित, सक्षम और समर्थ महिलाएं उपलब्ध कराना;

15 (ii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह उचित समझे, शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं देकर ज्ञान का सृजन और प्रचार करना;

(iii) मानविकी, प्रकृति और भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और शिक्षा की ऐसी अन्य विधाओं में, जिसके अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा भी है, शैक्षिक कार्यक्रमों वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उपबंध करना;

20 (iv) अध्यापन-विद्या प्रक्रिया, अंतरविद्या-शाखा अध्ययन और अनुसंधान में नवीन प्रक्रियाओं की अभिवृद्धि के लिए समुचित उपाय करना;

(v) देश के विकास के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय अभिविन्यास के साथ नवीन प्रक्रिया और उद्यम की भावना से ओतप्रोत महिलाओं का विकास करना;

25 (vi) देश की महिलाओं का उनके बौद्धिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के माध्यम से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशा के विकास के लिए और कल्याण के लिए प्रयास करना।

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

30 (i) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसे प्रकृति और भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और आयुर्विज्ञान में अनुदेशों की व्यवस्था करना, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;

35 (ii) ऐसी शर्तों के अधीन जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परिनियमों द्वारा विहित रीति से डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य शैक्षणिक उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधियों को वापस लेना;

(iii) महिला केन्द्रस्थ विकास आदर्शों को निश्चित करना, रिपोर्ट और निबंध प्रकाशित करना;

(iv) महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर सम्मेलन, सेमीनार आयोजित करना और विभिन्न क्षेत्रों में नीति संबंधी विषयों के लिए निवेश प्रदान करना;

- (v) निवेशबाह्य अध्ययन प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उनका भार अपने ऊपर लेना;
- (vi) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक डिग्रियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;
- (vii) दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से महिलाओं को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो अवधारित की जाएं; 5
- (viii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (ix) परिनियमों द्वारा विहित रीति में उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना; 10
- (x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत देश के बाहर स्थित व्यक्ति भी है, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;
- (xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; 15
- (xii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था, जिसके अंतर्गत देश के बाहर स्थित संस्था भी है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;
- (xiii) शिक्षा और अनुसंधान के भाग, प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रों, शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य के कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के रूप में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का संप्रत्ययीकरण, डिजाइन और विकास करने के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक सहयोजन, व्यावसायिक या किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना; 20
- (xiv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना; 25
- (xv) महाविद्यालयों, संस्थाओं और छात्र निवासों की स्थापना करना और उन्हें चलाना;
- (xvi) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे;
- (xvii) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना; 30
- (xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;
- (xix) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को, परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना; 35
- (xx) ऐसे छात्र निवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं; और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाओं को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;

(xxi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी हो सकेगी;

(xxii) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

5 (xxiii) छात्रों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों की स्थापना करना और उन्हें चलाना;

(xxiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxv) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

10 (xxvi) सभी वर्ग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार-संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xxvii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित और प्रवृत्त करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो आवश्यक समझे जाएं;

15 (xxviii) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

20 (xxix) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxx) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

25 (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय हैसियत और शिक्षण और अनुसंधान में उच्च मानक बनाए रखने का प्रयास रहेगा और विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों में से जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा; अर्थात्:—

(i) छात्रों का प्रवेश और संकाय की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर किए जाएंगे;

(ii) छात्रों का प्रवेश या तो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से योग्यता के आधार पर या अन्य विश्वविद्यालयों के संयोजन से अर्हक परीक्षाओं में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा;

30 (iii) संकाय की अंतर्विश्वविद्यालय गतिशीलता को प्रोत्साहित करना;

(iv) सेमेस्टर पद्धति, निरंतर मूल्यांकन और चुनाव आधारित उधार पद्धति को पुरःस्थापित करना और जमा रकम अंतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से करार करना;

35 (v) आवधिक पुनर्विलोकन और पुनः संरचना की व्यवस्था के साथ अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को पुरःस्थापित करना;

(vi) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत अध्यापकों का मूल्यांकन भी है;

(vii) राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या किसी अन्य कानूनी प्रत्यायन अभिकरण से आज्ञापक प्रत्यायन अभिप्राप्त करना; और

(viii) प्रभावी प्रबंध सूचना पद्धति के साथ ई-गवर्नेंस पुरःस्थापित करना ।

अधिकारिता ।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी ।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों के लिए चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग की हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी महिला को विश्वविद्यालय में छात्रा के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाए या उन पर अधिरोपित करे: 5

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या उसमें कोई और पद धारण करने या उसके किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी । 10

छात्रों का आवास ।

8. ऐसे छात्रों से भिन्न जो दूर शिक्षा पद्धति द्वारा अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र किसी छात्र निवास या छात्रावास या ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं । 15

विद्यापीठों की स्थापना और उनको चलाने की शक्ति ।

9. परिनियमों के अध्याधीन विश्वविद्यालय को कम से कम एक विद्यापीठ को क्षेत्र के विद्यापीठों के लिए एक आदर्श विद्यापीठ के रूप में स्थापित करने की शक्ति होगी ।

कुलाध्यक्ष ।

10. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रबंधित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा । 20 25

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा । 30

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण करवाने या जांच किए जाने के अपने आशय की सूचना देगा यदि ऐसा निरीक्षण या जांच उस विश्वविद्यालय की बाबत या उसके द्वारा चलाई जा रही किसी महाविद्यालय या संस्था की बाबत किया जाना है ।

(5) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है । 35

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(7) निरीक्षण या जांच की ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष कुलपति के माध्यम से प्राधिकारी को उसकी सलाह, यदि कोई हो, के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की बाबत समुचित कार्रवाई करने के लिए लिख सकेगा । 40

(8) नियुक्ति प्राधिकारी दो मास की अवधि के भीतर समुचित कार्यवाही करेगा और उस दशा में जब वह कुलाध्यक्ष की सलाह के अनुसार कार्य करने में समर्थ नहीं है तो वह कुलाध्यक्ष को दो मास की अवधि के भीतर समर्थित दस्तावेजों सहित उसके कारणों की रिपोर्ट करेगा और यदि ऐसे कारणों से कुलाध्यक्ष का समाधान नहीं होता है तो कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

5 (9) उपधारा (7) के अधीन नहीं आने वाले विषयों की बाबत कुलाध्यक्ष कुलपति के माध्यम से इस सलाह सहित कार्यपरिषद् को की जाने वाली कार्यवाही की बाबत लिखेगा और कुलपति तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को लिखित में आदेश को निष्प्रभावी कर सकेगा जो अधिनियम, परिनियमों या 10 अध्यादेशों की संगतता में नहीं है:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह सचिव से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए और यदि ऐसा कोई कारण युक्तियुक्त समय के भीतर दर्शाया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं''।

15 11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रतिकुलपति;

(4) संकायों के संकायाध्यक्ष;

20 (5) रजिस्ट्रार;

(6) वित्त अधिकारी;

(7) परीक्षाओं का नियंत्रक;

(8) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

25 (9) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाए।

12. (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ऐसी रीति से जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा।

कुलाधिपति।

30 (2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने और सभा के अधिवेशनों के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में पीठासीन होगा।

13. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

कुलपति।

35 (2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को अगले अधिवेशन में देगा:

40 परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

प्रतिकुलपति।

14. प्रतिकुलपति की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

संकायों के संकायाध्यक्ष।

15. प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

17. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षाओं के नियंत्रक।

18. परीक्षाओं के नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

19. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

20. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

21. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) सभा;

(2) कार्य परिषद्;

(3) विद्या परिषद्;

(4) अध्ययन बोर्ड और विद्या बोर्ड;

(5) वित्त समिति; और

(6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

22. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी: सभा।
 परंतु सभा में महिलाओं में से यथोचित सदस्य संख्या होगी:
 परंतु यह और कि इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में से निर्बन्धित किए जाएंगे।
- 5 (2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—
- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;
- 10 (ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।
23. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी। कार्य परिषद्।
- 15 (2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:
- परंतु कार्य परिषद् में महिलाओं में से यथोचित सदस्य संख्या होगी:
 परंतु यह और कि इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।
- 20 24. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के साथ समन्वय करेगी और उसकी शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी। विद्या परिषद्।
- (2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:
- 25 परंतु कार्य परिषद् में महिलाओं में से यथोचित सदस्य संख्या होगी:
 परंतु यह और कि इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, सभा के निर्वाचित ऐसे सदस्यों में से होंगे जो विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं।
25. अध्ययन बोर्ड और विद्या बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे: अध्ययन बोर्ड और विद्या बोर्ड।
- 30 परंतु अध्ययन बोर्ड और विद्या बोर्ड में महिलाओं में से यथोचित संख्या होगी।
26. वित्त समिति का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे: वित्त समिति।
- परंतु वित्त समिति में महिलाओं में से यथोचित सदस्य संख्या होगी।
27. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।
- 35 28. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—
- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;
- (ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने

रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य और उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें; 5

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उपलब्धियां;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत से संबंधित पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि भी है, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति; 10

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया; 15

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) मानद डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(ठ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; 20

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(त) ऐसे सभी अन्य विषय जो अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

29. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी; 25

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी। 30

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधायित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उसके पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमाम्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो। 35

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा और ऐसे परिनियम सदन के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिणियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिणियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

30. (1) इस अधिनियम और परिणियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभ्य या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभ्य डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;
- (ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;
- (घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;
- (ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;
- (च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययन वृत्तियों, पदक और पुरस्कारों को संस्थित करना;
- (छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ज) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसमीकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं;
- (झ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ञ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और
- (ट) संकायों, विभागों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं, अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना और प्रबंध;
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अलाभकारी अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति;
- (ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उनकी संरचना और उनके कृत्य;
- (ढ) सभ्य अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिणियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं या किए जाने हैं।
- (2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिणियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या जोड़े जा सकेंगे।

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिणियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिणियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिणियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

विनियम।

वार्षिक रिपोर्ट।

32. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी। 5

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, सरकार, उसके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

33. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी। 10

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, सभा और कुलाध्यक्ष को, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। 15

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। 20

विश्वविद्यालय की निधि।

34. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान; 25

(ग) सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों द्वारा दिया गया कोई अंशदान;

(घ) किसी प्राइवेट व्यष्टि या संस्था द्वारा की गई कोई वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालयों को प्राप्त आय; और

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशियां। 30

(2) उक्त निधि की राशि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक में रखी जाएगी अथवा उसका भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा जैसा कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए। 1934 का 2
1980 का 40
1882 का 2

(3) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जाएगी, जो विहित की जाए। 35

विवरणियां और सूचना।

35. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा जिसकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे।

36. (1) प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से पैदा होने वाला विवाद, संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के अर्थातगत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के कार्य से संबंधित प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

37. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चयों को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई आनुशासनिक कार्रवाई से पैदा होने वाला कोई भी विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 36 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

38. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंधक समिति या कार्य परिषद् के परिनियमों के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

अपील करने का अधिकार।

39. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

40. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियों नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समितियां, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो, प्रत्येक मामले में, जैसा प्राधिकारी उचित समझे, मिलकर बनेंगी।

समितियों का गठन।

41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (अपने सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जो उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित करती है और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

43. परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

5

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

44. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाती है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

1872 का 1

10

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

15

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20

25

परिनियमों, अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

46. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

30

35

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम का भूतलक्षी प्रभाव

40

इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

47. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

संक्रमणकालीन
उपबंध।

5 (क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे, जो उचित समझी जाएं और उक्त अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

10 (ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमशः इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् में इक्कीस सदस्यों से अनधिक सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

15 परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारी में कोई रिक्ति होती है तो वह परिनियमों द्वारा विहित रीति में, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति।

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा देश के शैक्षणिक या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी:

परंतु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु अपनी पदावधि का अवसान होने पर भी, कुलाधिपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

कुलपति।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी:

परंतु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह विस्तारित या नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति पांच व्यक्तियों से मिल कर बनेगी जिसमें तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो कार्य परिषद् द्वारा और दो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्दिष्टि समिति का संयोजक होगा:

परंतु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा या विश्वविद्यालय के सहबद्ध किसी संस्थान से संबद्ध नहीं होगा या विश्वविद्यालय में कोई कारबार हित नहीं रखेगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु कुलाध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि जिस कुलपति की पदावधि समाप्त हो गई है, वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा।

(5) खंड (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष, कुलपति के पद भार ग्रहण करने के पश्चात् किसी समय लिखित में आदेश द्वारा अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधार पर कुलपति को पद से हटा सकेगा:

परंतु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष ऐसे आदेश को करने से पूर्व किसी समय, जांच लंबित रहते हुए कुलपति को निलंबित रख सकेगा।

(6) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को मासिक वेतन और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियमित दर से मकान किराया भत्ता से भिन्न, भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान किराया मुक्त

सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रख-रखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो समय-समय पर कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और भी कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्यपरिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(iv) कुलपति एक कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किशतों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा:

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पदग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(6) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

(7) कुलपति को कुलसचिव द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने की शक्तियां होंगी और वह आदेश को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

प्रतिकुलपति।

4. (1) प्रत्येक प्रतिकुलपति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो:

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (7) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति अपना पद फिर से नहीं संभाल लेता या विद्यमान कुलपति सेवानिवृत्त नहीं हो जाता।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं।

संकायों के
संकायाध्यक्ष।

5. (1) संकाय के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस संकाय के आचार्यों में ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यदि संकाय में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष, संकाय के आचार्य, यदि कोई हो, और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि संकायाध्यक्ष सैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन संकाय में ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, संकाय का अध्यक्ष होगा और संकाय में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन

तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या संकाय की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलसचिव।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनकी बाबत वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्रवाई करने, जांच होने तक उन्हें निलंबित करने और उन पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी जो वह ठीक समझे:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध किए जाने तक केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ख) कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु यह इन प्राधिकरणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी।

7. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) वित्त अधिकारी, कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए,—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वे मंजूर या आबंटित किए गए हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के उपस्कर तथा उपयोच्य अन्य सामग्री के स्टॉक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों का पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

8. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। परीक्षा नियंत्रक।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कराएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

9. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा में कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा। सभा का अधिवेशन।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित कार्यकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

11. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के पांच सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी। कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) पीठ आचार्य सहित अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना:

परन्तु अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हता और उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य-परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जितने आवश्यक हों, को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) विभिन्न संकायों, विभागों और केन्द्रों में तकनीकी कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्ति करके अंतर-विद्याशाखा अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उनकी सेवा के कर्तव्यों और शर्तों को परिभाषित करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पदों पर नियुक्तियां करना जिनके लिए वह नियुक्ति प्राधिकारी है;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित और प्रवृत्त करना;

(vii) विश्वविद्यालयों के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारों को नियुक्त करना, जितने वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिनके अंतर्गत अनुपयोजित आय है, समय-समय पर ऐसे स्टाफों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिधान करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्तियों के साथ विनिधान करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो उपकुलपति के आदेश द्वारा किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसमीकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसों, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग के लिए उपबंध करना;

(xvi) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना; दाता के नाम में या किसी वांछित व्यक्ति की स्मृति में कम से कम एक करोड़ रुपए का अभिदाय करके पीठ की स्थापना करने के लिए; किसी दाता के नाम में या किसी वांछित व्यक्ति की स्मृति में एक करोड़ रुपए से अन्यून, प्रतिष्ठान सृजित करने के लिए और दाता के नाम में या किसी वांछित व्यक्ति की स्मृति में एक करोड़ रुपए से अन्यून की सीमा तक किसी भवन या परिसर की लागत को वहन करने के लिए सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ साधारण जनता और संस्थाओं के सदस्यों से संदान प्राप्त करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, संयुक्त संकाय, अनुबद्ध संकाय परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

13. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के सात सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों की गणपूर्ति।

14. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

(क) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी संकाय या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(ख) विश्वविद्यालय में अभ्यावेशित उन व्यक्तियों के सिवाय व्यक्तियों के अनुदेश और परीक्षा के लिए अध्यादेशों के माध्यम से प्रबंध करना;

(ग) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का सहकार करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(घ) संकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना और ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ङ) डिप्लोमाओं या डिग्रियों और अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमाओं और डिग्रियों के संबंध में उनकी समकक्षता का अवधारण करना;

(च) कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों और अध्ययन वृत्तियों तथा अन्य पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की समय रीति और शर्तों को नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो उनको हटाए जाने के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिश करना और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा तथा अन्य व्यय का नियतन;

(ज) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उनको आयोजित किए जाने के लिए तिथियों को नियत करना;

(झ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियां या अधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्रियां, सम्मानक डिप्लोमा उपाधियां और प्रतिष्ठा अंक प्रदत्त या अनुदत्त किए जाने के संबंध में सिफारिशें करना;

(ञ) वजीफाओं, छात्रवृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों को प्रदान करना और विनियमों तथा ऐसी अन्य शर्तों, जो पुरस्कारों से संलग्न की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार देना;

(ट) पाठ्यविवरण या अध्ययन के विहित पाठ्यक्रमों को तथा विहित या सिफारिश की गई पाठ्यपुस्तकों की सूचियों का अनुमोदन करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(ठ) ऐसे प्रारूपों और रजिस्ट्रों को तैयार करना जो समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित किए जाते हैं;

(ड) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्तव्य और कार्यों को पूरा करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

15. (1) विश्वविद्यालय में उतने संकाय होंगे, जितने परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संकाय और विभाग।

(2) प्रत्येक संकाय का एक संकाय बोर्ड होगा और प्रथम संकाय बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) संकाय बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) संकाय बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक संकाय ऐसे विभागों से मिलकर बनेगा जो परिनियम द्वारा उनमें रखे जाएं:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे:

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

अध्ययन बोर्ड।

16. (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड के कृत्य, विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध संकाय बोर्ड को, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना होंगे—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्त समिति।

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iv) कार्य परिषद्, द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के, पदेन सदस्यों से भिन्न, सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का टिप्पण अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी, जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

18. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने के लिए चयन समितियां होंगी।

चयन समितियां और नियुक्तियां।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिनी और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

1	2
आचार्य	(i) संकाय का संकायाध्यक्ष। (ii) विभाग का अध्यक्ष, यदि वह आचार्य है। (iii) कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट ऐसे तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
सह-आचार्य या सहायक आचार्य	(i) विभाग का अध्यक्ष। (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iii) कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट ऐसे दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे सह-आचार्य या सहायक आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव या वित्त अधिकारी	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	ऐसे तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतर-विद्या शाखा परियोजना के लिए की जा रही हो, वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति या उसके प्राधिकार में, प्रतिकुलपति, चयन समिति का अधिवेशन बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तभी विधिमाम्य होंगी, जब—

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में उपस्थित हों; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में उपस्थित हों।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) चयन समिति द्वारा आवेदकों के चयन संबंधी रिक्ति होने से ही सभी कार्यवाहियां कार्य परिषद् द्वारा सूचित विनिश्चय के लिए मुहरबंद लिफाफे में चयन समिति की सिफारिशों के साथ अग्रिम में परिचालित कार्यसूची टिप्पण द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष रखी जाएंगी:

परंतु यदि उस पर कोई परिवाद प्राप्त होता है तो उसे कार्य सूची टिप्पण में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) चयन प्रक्रिया से समाधान हो जाने पर कार्य परिषद् चयन समिति की सिफारिशों स्वीकार कर सकेगी और इस प्रकार चयनित व्यक्ति को ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(7) यदि चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में कार्य परिषद् असमर्थ है तो वह कारण लेखबद्ध करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(8) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे;

(iii) अस्थायी रूप से नियुक्त कोई शिक्षक यदि उसका परिनियमों के अधीन नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा करना जारी नहीं रख सकेगा।

नियुक्ति का विशेष
ढंग।

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का भी सृजन कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय के कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

20. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

समितियां।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पश्चात्पूर्ती पुष्टि के अध्वधीन होगी।

21. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

22. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे और जब तक ऐसे परिनियम, अध्यादेशों और विनियमों को नहीं बनाया जाता है तब तक केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के उपबंध लागू होंगे।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां वह होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

23. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल के अनुसार किया जाएगा और उच्चतर श्रेणी में का व्यक्ति निम्नतर श्रेणी में के व्यक्ति से ज्येष्ठ समझा जाएगा।

ज्येष्ठता सूची।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरण से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

24. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो और नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) की यह राय है कि अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी लोकहित में नहीं है या नियमित विभागीय जांच के निष्पक्ष संचालन में वह

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई।

हानिकर है तो लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा:

परंतु यदि ऐसे अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी, कार्य परिषद् हैं तो कुलपति ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद या अन्य कर्मचारी के निलंबन के तथ्य और निलंबन करने वाली परिस्थितियां अभिलिखित करके उसे निलंबित कर सकेगा और मामला कार्य परिषद् को तीन मास के भीतर रिपोर्ट करेगा जिसके न हो सकने पर आदेश प्रतिसंहत समझा जाएगा:

परंतु यह और कि कुलपति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश को पुष्ट या प्रतिसंहत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने या युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसके हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

सम्मानिक डिग्रियां।

25. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानिक डिग्रियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपातस्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक डिग्रि को वापस ले सकेगी।

26. कार्य परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अनूयन बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना।

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार न कर लिया गया हो।

27. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

(2) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, प्रतिकूलपति और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा उसे विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या संकाय में किसी पाठ्यक्रम में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुमाने का दंड दिया जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी संकाय द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, संकायों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, संकायों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, संकायों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, संकायों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे कथित प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

28. डिग्रियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

दीक्षांत समारोह।

29. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है, वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

30. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

त्यागपत्र।

31. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरहित होगा यदि—

निरहताएं।

(i) वह विकृतचित्त है; या

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरहताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

32. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता।

33. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्व छात्र संगम।

34. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार तभी होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक है:

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद्।

35. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) अध्ययनों के गुणागुण के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बीस छात्र;

(ii) अध्यादेश द्वारा विहित रीति में छात्रों के बीस निर्वाचित प्रतिनिधि;

(2) परिषद् के अध्यक्ष और अन्य पदधारी अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में परिषद् के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए, विद्यार्थी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मुद्दा लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मुद्दे पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) अध्ययन, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में तथा सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्यकरण के संबंध में विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को सुझाव देना और छात्रों के हित के अन्य मामले पर सुझाव देना विद्यार्थी परिषद् के कृत्य होंगे और ऐसे सुझाव उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होंगे।

(4) परिषद् की बैठक की गणपूर्ति इक्कीस सदस्यों से मिलकर होगी।

(5) छात्र परिषद् शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार, अधिमानतः उस वर्ष के प्रारंभ में अपना अधिवेशन करेगी।

36. (1) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित उपधाराओं में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

(2) धारा 30 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकर किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र संभव प्रस्तावित अध्यादेश के आक्षेप के बारे में सूचित करेगा।

(8) विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

37. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अध्यादेश, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

विनियम।

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाले प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

38. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियां, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा को महिलाओं की प्रतिष्ठा के उत्थान में प्रमुख प्रेरक बल के रूप में समझा गया है और जीवन के सभी क्षेत्रों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। सभी को क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराना, लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण की अभिवृद्धि के लिए सर्वाधिक मूल आधार है। ऐसी शिक्षा और उसके साथ आने वाले आत्म विश्वास से सज्जित होने पर महिलाओं के लिए उन्नति करने के लिए कोई सीमा नहीं है बशर्ते उनकी नौकरी और करियर के अवसरों पर समान पहुंच हो और वे देश में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प हो।

2. कुछ राज्य विश्वविद्यालय और संस्थाएं ऐसे विश्वविद्यालय समझे गए हैं जो केवल महिला छात्रों के लिए हैं किन्तु देश में केवल महिलाओं के लिए कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जबकि विद्यमान संस्थाओं के समेकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है वहीं सामाजिक अंतर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का उपबंध भी है। विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में वर्धित पहुंच उपलब्ध कराकर महिलाओं के सशक्तीकरण में सरकार के प्रयासों का आवश्यक समर्थन और अनुपूर्ति का उपबंध करने के उद्देश्य से केवल महिलाओं के लिए की जाएगी। प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय सामाजिक और धार्मिक प्रवर्गों के बीच की सीमा को तोड़ेगी और उच्चतर शिक्षा में बाधित वर्गों की छात्राओं के प्रवेश को सुकर बनाएगी।

3. महिलाओं के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जीवन के सभी पहलुओं पर सशक्त महिलाओं की उपलब्धता पर तीव्रकारी प्रभावी होगा। महिलाओं के लिए आदर्श केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में यह दूसरे लोगों के द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए उत्कृष्टता के मानकों का सृजन करेगा। ऐसा विश्वविद्यालय विभेद पर विजय पाने की लड़ाई में और इस दृष्टिकोण को बदलने में सहायता करेगा कि महिला क्या कर सकती है और उसे क्या करना चाहिए।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
2 अगस्त, 2013

एम०एम० पल्लमराजू

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात निगमित निकाय के रूप में एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए है। विधेयक के अधिनियमन के पश्चात् कुलपति को नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के कानूनी प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के अधीन अवलोकन दस्तावेज और प्रारूप परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। विश्वविद्यालय की वास्तविक वित्तीय आवश्यकता की गणना प्रारूप परियोजना रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। यह प्रत्याशित है, कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को बारहवीं योजना अवधि के दौरान लगभग पांच सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। व्यय की पूर्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत की संचित निधि से की जाएगी।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29 यह उपबंध करता है कि प्रथम परिनियम, विधेयक के अनुसूची में दिए गए हैं। यह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को, कुलाध्यक्ष की अनुमति के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय के नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने या परिनियमों को संशोधित या निरसित करने के लिए भी सशक्त करता है।

2. पूर्वोक्त खंड का उपखंड (5) कुलाध्यक्ष को इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की पांच वर्ष की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने या परिनियमों का संशोधन या निरसन करने के लिए भी सशक्त करता है।

3. उपखंड (6) कुलाध्यक्ष को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश देने के लिए भी सशक्त करता है और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा। ऐसे विषय, जिनकी बाबत कार्य परिषद् और कुलाध्यक्ष परिनियम बना सकेंगे, संशोधित या निरसित कर सकेंगे, के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों के गठन, शक्तियां और कृत्य, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और ऐसे अन्य विषय आते हैं।

4. विधेयक के खंड 30 का उपखंड (2) कुलपति को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करता है और यह उपबंध करता है कि इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय परिनियमों द्वारा विहित रीति से संशोधित, निरसित किए जा सकेंगे या जोड़े जा सकेंगे। ऐसे विषय जिनकी बाबत अध्यादेश, यथास्थिति, किए जा सकेंगे या संशोधित, निरसित किए जा सकेंगे या जोड़े जा सकेंगे, के अंतर्गत छात्रों के प्रवेश, अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा और परीक्षा का माध्यम... अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहकार और सहयोग, कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए तंत्र की स्थापना और ऐसे अन्य विषय आते हैं।

5. विधेयक का खंड 31 विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को परिनियमों द्वारा विहित रीति से अपने कारबार के संचालन के लिए और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के लिए इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश के संगत विनियम, जो इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों द्वारा उपबंधित नहीं किए गए हैं, बनाने के लिए समर्थ बनाता है।

6. खंड 45 केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध करने के लिए सशक्त करता है जो आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाना है और ऐसा आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

7. खंड 46 यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

8. वे विषय जिनके लिए परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जाएं, प्रक्रिया या ब्यौरों से संबंधित हैं और उनके लिए विधेयक में उपबंध करना संभव नहीं है। इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।